कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

–:कार्यालय आदेश:–

क्रमांक :– 33 दिनांक :– 30.3.2020

कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक 11/PI/2020 दिनांक 22.03.2020, 12/पी.आई./2020 दिनांक 24.03.2020 व पत्रांक Gen./xv/43/2020/2604 दिनांक 29.03.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसरण में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की निरन्तरता में जैसलमेर मुख्यालय पर आवश्यक सेशन कार्य करने हेतु केवल जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर ही है, इसी प्रकार पोकरण मुख्यालय पर केवल एक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण ही है।

जैसलमेर मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट स्तर के दो पद कमशः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर है, जिसमें से न्यायिक मजिस्ट्रेट वायरल से पीडित है। इसी प्रकार पोकरण मुख्यालय पर केवल एक ग्राम न्यायाधिकारी, ही है, जिन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण, ए.सी.जे.एम. पोकरण का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

इन परिस्थितियों में नियमित आवर्तन (रोटेशन) का विकल्प नही होने के कारण निम्न अधिकारीगण को अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक के लिए एतदद्वारा आदेशित किया जाता हैं।

क्र.सं.	आदेशित अधिकारी	कार्यभार
01.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	जैसलमेर मुख्यालय पर सेशन स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु
02.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	जैसलमेर मुख्यालय पर सभी मजिस्ट्रेट स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु
03.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।	पोकरण मुख्यालय पर सेशन स्तर के प्रकरणो की सुनवाई हेतु
04.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकडा मुख्यालय पोकरण।	पोकरण मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु

उक्त अधिकारीगण आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई 02:00 पीएम. से 04:00 पी.एम. जरिये विडियो कॉन्फ्रेंस **(विडियो/वाट्सअप/स्काईप/वाईस कॉल अथवा अन्य सुविधाजनक माध्यम)** करना तथा पारित निर्णयों/आदेशों को तुरंत प्रभाव से सी.आई.एस. में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालयो में नये प्रकरण न्यायालयानुसार ई–मेल आईडी (संलग्न) पर दर्ज करवाये जा सकेंगे। बशर्ते पेशकर्ता की ई–मेल आईडी, वॉटसएप नंबर/स्काईप आईडी अकित की जावें, अन्यथा आवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकर नहीं किया जावेगा तथा हार्ड कॉपी न्यायालय कार्य सुचारू होने पर पेश की जावें।

सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालयो में कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन आधार पर हो तथा उपस्थित कर्मचारियों को भी आवश्यक दूरी पर बैठाया जावें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2020/ 686-689 दिनांक : 30.3.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है:–

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
2. विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर।
4. अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
5. मुख्य न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, पोकरण।
7. प्रिंसिपल मजि0, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा, मुख्यालय–पोकरण।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर/पोकरण।
11. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रीडर ग्रेड–I, न्यायालय हाजा।
13. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।
14. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

Scanned by CamScanner